प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
राधा गोविन्द पब्लिक स्कूल,
अनुयोगी पुरम, गढ रोड , मेरठ शहर।

पत्रांक / शि0स / 3090-93 / 2012-13 दिनांक- 2

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 31-10-2011 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं राधा गोबिन्द पब्लिक स्कूल अनुयोगी पुरम ,गढ रोड, मेरठ शहर को नर्सरी कक्षा से कक्षा आठ तक के लिये अंनतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं हैं , और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं हैं।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेंगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस पडोस के के कमजोर वर्गो और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेंगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेंगा।
4. पैरा 03 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेंगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लियें विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेंगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेंगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेंगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होनें के कारण प्रवेश देनें से इन्कार नहीं करेंगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेंगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगा

   i. प्रवेश दिये गयें किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करनें की उपेक्षा नहीं की जायेगी।
   iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गयें अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विधार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   vi. अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यनूतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर अर्हतायें अर्जित करेगें:-

PRINCIPAL
Radha Govind Public School
Garh Road, Meerut (UP) 250004

For Radha Govind Public School
Manager

vii. अध्यापक अधिनिमय की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता हैं।

viii. अध्यापक स्वयं को किसी नीजि अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्य कम का पालन करेंगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 गें यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनायें रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं:-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 5580 वर्ग मीटर है, तथा निर्मित क्षेत्रफल 3750 वर्ग मीटर है तथा इसी भवन में खेल का मैदान हैं, 10 शिक्षण कक्ष , 4 वैक्लिपिक कक्ष ,दो शौचालय तथा दो मुत्रालय के अतिरिक्त विद्यालय में 12 टोटी पानी पीने हेतु है। अन्य उपकरण प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
9. विद्यालय के परिसरो के भीतर या बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर -मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या कीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जायें।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1869 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा हैं।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि,व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा हैं।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए , प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी आवश्यक हैं।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक ई0/2012/01 निर्धारित की जाती है।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता हैं जो समय समय पर किसी निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के किसी अनुदेशो का पालन करता हैं, जो मान्यता सम्बन्धित शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकमों की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जायें।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

(जीवेन्द्र सिंह ऐरी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

पृ0स0/शि0स0/3070-73 /2012-13 तद दिनांक
प्रतिलिपि :- निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. शिक्षा निदेशक(बे0) निशात गंज लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक(बे0) शिक्षा सामान्य अनुभाग 2 उ0 प्र0 इलाहाबाद के पृष्ठांकन संख्या सामान्य (2)/1166-68/2012-13 दिनांक 17-7-2012 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
3. सहायक शिक्षा निदेश (बेसिक) प्रथम मण्डल मेरठ ।

(जीवेन्द्र सिंह ऐरी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मेरठ।

PRINCIPAL
Radha Govind Public School
Garh Road, Meerut (UP) 250004